नानगराम - रामचंद्र आदि मु.नं. 50/2024

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| | ~~पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ मे [illegible] न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.............को पेश हो।~~ | |
| 1/10/24 | पत्रावली पेश। वकील अपेलन्ट उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/10/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |
| 15/10/24 | पत्रावील पेश । अपील अपीलांट...खारिज... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर)<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 50/2024

1 नानगराम मृत
1/1 गणपतलाल पुत्र नानगराम
1/2 किशनलाल पुत्र नानगराम
1/3 ऑची देवी पुत्री नानगराम
1/4 चौथी देवी पुत्री नानगराम
1/5 रामेश्वरी देवी पुत्री नानगराम
1/6 जमना देवी पुत्री नानगराम
2 झूंथाराम पुत्र मंशाराम
3 रामलाल पुत्र मंशाराम
4 मक्खनलाल पुत्र मंशाराम
समस्त जाति माली निवासी ढाणी छिलावाली तन ग्राम महरोली तह. श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र बालुराम
2 भगवानसहाय पुत्र बालुराम
3 मन्नीदेवी बेवा हणमान सहाय
4 हरफुल सिंह पुत्र कजोड़मल
जाति जाट निवासी ढाणी छिलावाली तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज.।
5 भैरूराम पुत्र मंशाराम मृत
5/1 सुरेन्द्र कुमार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5/2 औमप्रकाश
5/3 बिदामी देवी पत्नी भैरूराम
6 पटवारी हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
7 भुमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
8 मैजेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा रींगस

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.10.2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर उनवानी
प्रकरण रामचन्द्र बनाम नानगराम आदि आवेदन
अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट. मु.नं. 146/2017
अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :
1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 146/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र 251 ए बावत भूमि खसरा नम्बर 1549, 1552 वाके ग्राम छीलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय को राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 15.03.2016 को अपील में आदेश दिये गये थे की विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जवाब व साक्ष्य प्रस्तुति हेतु सम्यक अवसर दिये जाने के पश्चात उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवायी जाकर निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुति हेतु अवसर चाहे जाने के बावजूद गलत रूप से जवाब बन्द किया जाकर दिनांक 26.09.2023 को ही गलत रूप से अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्शाया जाकर बहस सुनी जाकर दिनांक 16.10.2023 को निर्णय कर दिया गया। वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त पत्रावली में दिनांक 19.06.2023 को आगामी दिनांक 08.07.2023 तय की गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता दिनांक 08.07.2023 को तारीख पेशी पर जाने पर उक्त पत्रावली नहीं मिलने के कारण अपीलान्ट के अधिवक्ता को तलाश की जाकर आगामी पेशी पर सूचित कर दिये जाने बाबत बताया गया। उक्त पत्रावली में पूर्व से तय दिनांक में कांट छांट की जाकर दिनांक 08.07.2023 के स्थान पर दिनांक 03.07.2023 कर दी गई। इसी कारण अपीलान्ट दिनांक 03.07.2023 को व आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ। उक्त पत्रावली में गलत रूप से कांट छांट की जाकर जवाब बन्द किया जाकर गलत रूप से अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लिये जाने का अंकन करते हुये उक्त निर्णय कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2017 को आदेश दिये की प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महरोली से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मौका रिपोर्ट ली जावें। विचारण न्यायालय द्वारा न्यायालय के अपील में पारित आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया था कि तहसीलदार/नायब तहसीलदार से मौका रिपोर्ट उभयपक्षों की मौजूदगी में मंगवायी जाकर पुनः निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार से रिपोर्ट नहीं मंगवायी जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महरोली से मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने बाबत उक्त आदेश पारित किये गये। उक्त मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी के यहां दिनांक 21.10.2019 को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट को पत्रावली में दिनांक 12.03.2020 को शामिल किया गया। इसे पत्रावली में शामिल किया जाना उक्त रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महरोली व पटवारी महरोली द्वारा दिनांक 09.10.2019 को जांच किये जाने बाबत अपीलान्ट को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में पूर्व से चले आ रहे रास्ते का कोई उल्लेख उक्त रिपोर्ट में नहीं किया गया। वस्तुस्थिति यह है कि खसरा नम्बर 1552 के पश्चिमी दिशा से रास्ता 1553 की उत्तरी दिशा के सहारे सहारे 1549 में आने जाने का रास्ता मौके पर मौजुद है। इसी रास्ते से आना जाना जारी है। इसके अतिरिक्त अन्य रास्ता मौके पर मौजुद है। राज. टेनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए केवल उसी स्थिति में लागु होती है जब अन्य कोई रास्ता आने जाने हेतु नहीं हो उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के आने जाने हेतु रास्ता विद्यमान होने के कारण उक्त प्रकरण में धारा 251 ए के प्रावधान लागु नहीं होते है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी भैरूराम पुत्र मंशाराम की मृत्यु निर्णय के एक वर्ष पूर्व ही हो जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार मृतक के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किये जाने के कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रकरण में प्रार्थीगण अपने खेत भूमि खसरा नम्बर 1549 रकबा 1.70 हैक्टेयर तन ग्राम छीलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. के उत्तरी पूर्वी कोने में बने आवासीय मकान व खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना कथन करते है। खसरा नम्बर 1442 व 1550 में मकान, दुकान आदि होने से सड़क तक रास्ता सम्भव नहीं है। प्रार्थीगण के अपने खेत खसरा नम्बर 1549 में आने जाने हेतु एकमात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 1552 की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे पूर्व–पश्चिम से होना प्रकट होता है। जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस रास्ते के अलावा अन्य रास्ता प्रार्थीगण के पास होना अपनी बहस में अवगत कराया है लेकिन वो रास्ते किन–किन खसरा नम्बरान से होकर जाते है तथा वो रास्ते उक्त प्रस्तावित रास्ते से लघुत्तम व निकटतम रास्ता है या नहीं। इस बारे में कही भी अपनी बहस में अवगत नहीं कराया गया है। जिससे यह प्रतीत होता हो कि प्रार्थीगण के उक्त रास्ते के अलावा अन्य ओर भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे प्रार्थीगण के द्वारा आवागमन किया जा रहा हों। अतः ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्त की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता नहीं लिया जाकर वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन राशि अदा कर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट दिनांक 24.08.2018 से वकालतन उपस्थिति रहे है। दिनांक 24.08.2018 से दिनांक 26.09.2023 तक अपीलांट द्वारा जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2023 को विचाराधीन निर्णय पारित किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। इसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा 6 माह के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय को राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 15.03.2016 को अपील में आदेश दिये गये थे की विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जवाब व साक्ष्य प्रस्तुति हेतु सम्यक अवसर दिये जाने के पश्चात उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवायी जाकर निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुति हेतु अवसर चाहे जाने के बावजूद गलत रूप से जवाब बन्द किया जाकर दिनांक 26.09.2023 को ही अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्शाया जाकर बहस सुनी जाकर दिनांक 16.10.2023 को निर्णय कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2017 को आदेश दिये कि प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महरोली से मौका रिपोर्ट ली जावें। विचारण न्यायालय को इस न्यायालय के अपील में पारित आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया था कि तहसीलदार/नायब तहसीलदार से मौका रिपोर्ट उभयपक्षों की मौजूदगी में मंगवायी जाकर पुनः निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार से रिपोर्ट नहीं मंगवायी जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महरोली से मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने बाबत उक्त आदेश पारित किये गये। उक्त मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी के यहां दिनांक 21.10.2019 को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट को पत्रावली में दिनांक 12.03.2020 को शामिल किया गया। इसे पत्रावली में शामिल किया जाना उक्त रिपोर्ट की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महरोली व पटवारी महरोली द्वारा दिनांक 09.10.2019 को जांच किये जाने बाबत अपीलान्ट को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में पूर्व से चले आ रहे रास्ते का कोई उल्लेख उक्त रिपोर्ट में नहीं किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी भैरूराम पुत्र मंशाराम की मृत्यु निर्णय के एक वर्ष पूर्व ही हो जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार मृतक के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किये जाने के कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर